

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति का विवरण

- 1- वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -
- 2- अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो-
- 3- वर्तमान धारिता नं.-
- 4- वर्तमान वेतन नं.-
- 5- अगली वेतनवृद्धि की तारीख-

2009-10

आर.आर.अध्यापक
कार्यपालन संजी

रु. 19000-39100-7800

1.7.2010

क्र.	उक्त जिले का नाम, उपसंभाग/तालुका तथा ग्राम	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति				यदि स्वयं के नाम पर नहीं तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, भेट, बंधक विरासत, भेट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने अनुमति/प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेट में नहीं है तो उसके लिए अर्जित नाम, वित्तीय साधनों का विवरण (जिनसे नगद ऋण या भेट ली है उसका पूरा पता दिया जाए)	यदि सम्पत्ति में कोई विस्तार किया गया हो तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	यदि विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जिला भोपाल तहसील-हुजूर 82 सोदेन नगर भोपाल	गृह 757 वर्गफुट ने निर्मित मकान	प्लॉट साइज 30X 50 = 1500 वर्गफुट दि. 6.2.09 मूल्य रु. 1.5 लाख	रु. 7.00 लाख	स्वयं के नाम पर	प्र.अ. के पत्र क्र. 9847 दि. 18.10.89 द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अधिन रु. 80274/- लेकर निर्माण कार्य दि. 9.11.89 को करवाया। पत्र, शासन लोक स्वा.यां.वि. मंत्रालय के पत्र क्र. एफा 16ज्द201/2000/चौतीस/भोपाल दि. 8.9.2000 द्वारा भवन का रहनाना मुक्त किया।	न. 8 के अनुसार	विभाग से अनुमति प्राप्त कर	जी.पी.एफ. एवं भवन निर्माण अधिन प्राप्त कर	शुधार विस्तार नहीं	नहीं	पत्र क्र. 521/रया/अ.य. /नगर/मं. /लोकस्वा.वि. /भोपाल दि. 2.4.09 द्वारा अचल सम्पत्ति विक्रय की सूचना पूर्ण विवरण सहित अवर सचिव न.प्र.शासन लोकस्वा. यां.वि. मंत्रालय भोपाल को प्रेषित		
2	जिला नरसिंहपुर मांजा-पशुका ए.ड.नं. 4 ग्राम आनर	-	भूमि कुवि 3.54 एकड़ सिंगित भूमि	दि. 30.8.98 मूल्य रु. 1.76 लाख	रु. 5.00 लाख	स्वयं के नाम पर	पैगुज जमीन दि. 2.10.89 को मेरे पिता श्री गुलजारी ला ने मेरे नाम पर हस्तांतरित कर दी है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा पत्र क्र. 1126 दि. 3.11.89 को दी गई है।	क. 8 के अनुसार	विरासत से प्राप्त	क. 8 के अनुसार	शुधार विस्तार नहीं	पट्टा से वार्षिक आय रु. 45000/-	नहीं	-

(आर.आर.अध्यापक)
कार्यपालन संजी